न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 38/2022 जिला सीकर

1. अणची पत्नी जैसाराम
2. अर्जुन सिंह पुत्र जैसाराम
3. जगदीश पुत्र परमाराम, जाति जाट, निवासी कोलीडा, तहसील व जिला सीकर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार जी सीकर, जिला–सीकर।
2. ग्राम पंचायत कोलीडा जर्ये सरपंच, तहसील व जिला सीकर।
3. परमा पुत्र जैसाराम, जाति जाट, निवासी कोलीडा, तहसील व जिला सीकर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी जी सीकर, दिनांक 13.01.2022

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्यामबाबू पारीक
2. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता
3. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 3 श्री हरलाल सिंह

निर्णय

दिनांक –26.07.2022

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 13.01.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 08.03.2022 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

तहसीलदार सीकर, जिला सीकर ने आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत दिनांक 17.12.2021 के द्वारा राजस्व ग्राम कृष्णनगर, पटवार मण्डल कोलिडा तहसील सीकर के ख.नं. 1357, 1350, 2278/1348, 1331 में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मु0 रास्ते के रूप में दर्ज करने के लिये राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मंय नक्शा उपखण्ड अधिकारी सीकर को भिजवाया गया। उपखण्ड अधिकारी सीकर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर ने 'राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.03.2016 व दिनांक 30.09.2021 की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्ताव दिनांक 17.12.2021 के द्वारा मुताबिक प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में प्रस्तावित रास्ते को गैर मु0 रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये गये साथ ही यह भी आदेश दिये गये कि संलग्न प्रस्ताव में नक्शा ट्रेस के खसरो की कृषि भूमियों बाबत नामान्तरकरण रास्ते का पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे को किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शे में तरमीम की जाने तथा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में रखने के आदेश दिये दिये गय

उप खण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.01.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर दिनांक 13.01.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1357 व अन्य भूमि

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 1356, 1355 के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 खातेदार हैं। अपीलान्ट संख्या 3 के हक में छोटी, भगवानी व मनोहरी द्वारा अपीलान्ट नं. 3 के हक में 26.12.2021 ई0 को दान पत्र पंजीकृत करवा रखा है व दान पत्र के दिन से वह भूमि खातेदार हो गया है व चूंकि नामान्तरकरण नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में वह अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। दिनांक 20.09.2021 को ग्राम पंचायत विवादित भूमि खसरा नम्बर 1357 में नवीन रास्ता कायम करने हेतु अपना प्रस्ताव अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर करती है जबकि उक्त भूमि के मध्य में पूर्व से डबल डोटेड लाइन से रास्ता है व वही रास्ता आने जाने हेतु है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में 17.12.2021 को पटवारी हल्का रिपोर्ट करता है व गिरदावर व तहसीलदार उसी दिन अपनी अभिशंषा बिना मौका देखे व परिपत्र के विपरीत उपखण्ड अधिकारी जी सीकर दिनांक 13.1.2022 ई0 को बिना नोटिस दिये अपना आदेश प्रसारित करती है। पटवारी हल्का ने मौके की जांच के समय प्रार्थीयान को कोई नोटिस नहीं दिया न अधिनस्थ न्यायालय ने कोई नोटिस ही दिया एवं मौका रिपोर्ट, गिरदावर की रिपोर्ट व तहसीलदार जी की अभिशंषा जो प्रिन्टेड फार्म पर फिल इन द ब्लेंक्स (खाली स्थान भरकर) पेश की गई है के आधार पर प्रस्तुत उपखण्ड अधिकारी जी द्वारा 13.1.2022 ई0 को अपना आदेश प्रसारित किया जो कि सरासर न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के प्रतीकूल होने से निरस्तनीय है। प्रचलित रास्ता वह होता है जो आम रास्ता हो, यह आम रास्ता न है न हो सकता, न आम रास्ते की कोई रिपोर्ट ही है। प्रार्थीयान की भूमि में कभी कोई रास्ता नहीं रहा न मौके पर कोई रास्ता है। पटवारी हल्का ने पटवार घर पर बैठे–बैठे ही पटवारी ने रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है जब कि गिरदावर, पटवारी या तहसीलदार जी मौके पर गये ही नहीं न मौके का कोई नोटिस ही दिया गया है। उपखण्ड अधिकारी सीकर ने बिना अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किये व बिना मौका देखे केवल मात्र तहसीलदार सीकर की अभिशंषा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दे दिये। अधीनस्थ न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क का अवलोकन करना चाहिये था। यदि किसी खातेदार काश्तकार के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो तो धारा 251क के अनुसार संबंधित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन करके प्रचलित बाजार दर से दुगनी राशि पर रास्ता देने का प्रावधान दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.01.2022 को निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार सीकर, जिला सीकर ने आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत दिनांक 17.12.2021 के द्वारा राजस्व ग्राम कृष्णनगर, पटवार मण्डल कोलिडा तहसील सीकर के ख.नं. 1357, 1350, 2278/1348, 1331 में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मु0 रास्ते के रूप में दर्ज करने के लिये राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मंय नक्शा उपखण्ड अधिकारी सीकर को भिजवाया गया। उपखण्ड अधिकारी सीकर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 व दिनांक 30.09.2021 की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्ताव दिनांक 17.12.2021 के द्वारा मुताबिक प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेसं में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में प्रस्तावित रास्ते को गैर मु0 रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये गये साथ ही यह भी आदेश दिये गये कि संलग्न प्रस्ताव में नक्शा ट्रेस के खसरो की कृषि भूमियों बाबत नामान्तरकरण रास्ते का पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे को किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शे में तरमीम की जाने तथा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में रखने के आदेश दिये गये। दिये गये निर्देश की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने को आदेश दिये गये हैं। उनका कहना है कि मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका

Scanned by CamScanner

देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं 1 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व तहसीलदार सीकर के प्रस्ताव दिनांक 17.12.2021 के अवलोकन से जाहिर होता है कि खसरा नम्बर 1331, 2278/1348, 1350, 1357 में जो रास्ता दर्शाया गया है व पूर्व से ही डॉटेड रास्ते के रूप में दर्ज रहा है तथा अनेक खसरा नम्बरों से होकर गुजरता है इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता है कि यह रास्ता तहसीलदार द्वारा मनमर्जी से कायम किया गया है। जहॉ तक खसरा नम्बर 1357 का प्रश्न है यह रास्ता पूर्व में डॉटेड रास्ते के रूप में दर्ज रहा है तथा आगे जाकर किसी रास्ते से भी नहीं मिलता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नक्शे के अवलोकन से जाहिर होता है कि खसरा नम्बर 1357 में से जो रास्ता दर्शाया गया है वह रास्ता मात्र खसरा नम्बर 1350 तक ही जाता है। खसरा नम्बर 1357 में से जो रास्ता दर्शाया गया है उसमें पूर्व से ही रास्ता डोटेड रास्ते के रूप दर्ज रहा है। ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 1357 में दर्शाया गया रास्ते के बारे में उपखण्ड अधिकारी सीकर के स्तर पर अपीलकर्ता को सुनकर एवं मौके का निरीक्षण कर निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित है। उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलकर्ता की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है तथा खसरा नम्बर 1357 की हद तक रिमांड किया जाना उचित प्रतीत होता है। शेष निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

अतः—अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर खसरा नम्बर 1357 के बारे में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर को रिमांड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलकर्ता को सुनकर एवं मौके का अवलोकन करके पुनः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर का निर्णय दिनांक 13.01.2022 का शेष निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner